



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-21072025-264816
CG-TL-E-21072025-264816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3202]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 15 जुलाई, 2025

का.आ. 3272(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में परली - परभणी के बीच रेलपथ दोहरीकरण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी पाथरी, परभणी जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी उप-विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी पाथरी, परभणी जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् परली – परभणी दोहरीकरण के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

भूमि अधिग्रहण का विवरण – यात्री और माल सुविधा के लिए परली – परभणी दोहरीकरण परियोजना.

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : परभणी

क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वे सं. / गट सं.	अधिग्रहण किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र	मामले का विवरण
तालुका : सोनपेठ			गाँव : वडगाव		
1	रामराव बापुराव सावंत	181/2	0.350	0.20.00	परभणी – परली दोहरीकरण मामला सं. – ओ.क्र.2025/एलए/एसपी/ केवी - 756
2	रामराव बापुराव सावंत	182/2/1		0.38.00	
3	लक्ष्मण बापुराव सावंत	182/2/1		0.37.00	
4	लक्ष्मण बापुराव सावंत	182/2/ब		0.76.00	
5	हरी रामभाऊ पवार	183/2/1		0.35.00	
6	शंकर गजेन्द्रबुवा परबत सुंदर गजेन्द्रबुवा परबत सामान्य क्षेत्र	183/2/1		1.13.50	
7	किशन संभाजी बचाटे	183/2/3		01.09.00	
8	राधाबाई किशन बचाटे	183/2/3		1.00.00	
9	रावसाहेब माधवराव बचाटे अप्पासाहेब माधवराव बचाटे कलावतीबाई माधवराव बचाटे सामान्य क्षेत्र	183/2/2/अ		0.52.00	
10	रावसाहेब माधवराव बचाटे अप्पासाहेब माधवराव बचाटे कलावतीबाई माधवराव बचाटे सामान्य क्षेत्र	183/2/2/ब		0.52.00	
11	माणिक रामभाऊ कांबळे	184/2/1		0.67.00	
12	परमेश्वर बाळासाहेब कांबळे	184/2/1		0.40.00	
13	माणिक रामभाऊ कांबळे	184/2/2		0.35.00	

14	परमेश्वर बाळासाहेब कांबळे	184/2/2		0.80.00	
15	उत्तम नीलकंठ बचाटे नारायण नीलकंठ बचाटे प्रभाकर नीलकंठ बचाटे सामान्य क्षेत्र	185/2/अ		3.72.00	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20A/150725]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH CENTRAL RAILWAY)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 15th July, 2025

S.O. 3272(E).— in exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Parli - Parbhani doubling in Parbhani district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Pathri, Parbhani district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Pathri, Parbhani district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by, order, either allow or disallow the objections

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project

namely – Parli – Parbhani Doubling in the state of Maharashtra.

Description of Land in Acquisition: - project of Parli – Parbhani Doubling Dist.- Parbhani for passenger and freight facility.

State – Maharashtra

Dist. - Parbhani

S. No.	Name of Land Holder	Survey No./ Gut No.	Approximate Land to be Acquired (HR)	Land Acquisition Area as per 7/12 (Hectare)	Details of the case
Taluka: Sonpeth Village: Margalwadi					
1	Ramrao Bapurao Sawant	181/2	0.350	0.20.00	
2	Ramrao Bapurao Sawant	182/2/1		0.38.00	

3	Laxman Bapurao Sawant	182/2/1		0.37.00	Parbhani – Parli Doubling Case No. O.No.2025/LA/SP/KV – 756
4	Laxman Bapurao Sawant	182/2/B		0.76.00	
5	Hari Rambhau Pawar	183/2/1		0.35.00	
6	Shankar Gajendrabuwa Parbat Sundar Gajendrabuwa Parbat Common Area	183/2/1		1.13.50	
7	Kishan Sambhaji Bachate	183/2/3		01.09.00	
8	Radhabai Kishan Bachate	183/2/3		1.00.00	
9	Raosaheb Madhavrao Bachate Appasaheb Madhavrao Bachate Kalavatibai Madhavrao Bachate Common Area	183/2/2/A		0.52.00	
10	Raosaheb Madhavrao Bachate Appasaheb Madhavrao Bachate Kalavatibai Madhavrao Bachate Common Area	183/2/2/B		0.52.00	
11	Manik Rambhau Kamble	184/2/1		0.67.00	
12	Parameshwar Balasaheb Kamble	184/2/1		0.40.00	
13	Manik Rambhau Kamble	184/2/2		0.35.00	
14	Parameshwar Balasaheb Kamble	184/2/2		0.80.00	
15	Uttam Neelkanth Bachate Narayan Neelkanth Bachate Prabhakar Neelkanth Bachate Common Area	185/2/A		3.72.00	

[F. No. W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20A/150725]

H.K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V